संख्या- 485 जेएल/22-3-2025-ई-1989771

प्रेषक,

अनीस अख्तर अंसारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
संतकबीरनगर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः **15** नवम्बर 2025

विषयः- जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सदानंद राय पुत्र स्व0 जमुना राय जनपद-संतकबीरनगर को अपने भाई के उपचार हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1185/जि0प्रो0का0/पैरोल/2025-26, दिनांक 14-11-2025 में की गई संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-432) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सदानंद राय (बंदी संख्या-171/2015) पुत्र स्व0 जमुना राय, निवासी-महंथा, थाना-बांसगांव, जनपद-गोरखपुर, वर्तमान पता- ग्राम-सांखी, पोस्ट-रेवटा, थाना-महुली, जनपद-संतकबीरनगर को अपने भाई के उपचार हेतु दिनांक 15.11.2025 से 72 घण्टे के पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पर कारागार से छोड़े जाने के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ देते है कि बन्दी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि में शान्ति बनाये रखने तथा अच्छे चाल-चलन रखने और पैरोल की अवधि समाप्त होने पर जेल में वापस जाने के लिए आप की संतुष्टि के अनुसार दो जमानतों सहित एक निजी मुचलका दाखिल करे तथा बन्दी के विरूद्ध अन्य कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन न हो इसे सुनिश्चित कर लिया जायें तथा बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक हो। पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि को बन्दी द्वारा काटी गयी सजा में जोड़ा नही जायेगा।

2- यदि बन्दी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) समाप्त होने पर नियत तिथि को जेल में हाजिर न हो तो बन्दी तथा उसके जमानतदारों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जाये। बन्दी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि में अपने निवास स्थान के थाने में अपनी उपस्थिति की सूचना देता रहेगा।

3- बन्दी को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि यदि वह स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि समाप्त होने पर निर्धारित दिनांक को वापस नहीं आता है तो उसके विरूद्ध किये जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह भविष्य में एक निश्चित अवधि अथवा सदा के लिए परिहार तथा पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पाने का अधिकारी न होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- कृपया इस आदेश की प्राप्ति की सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनीस अख्तर अंसारी

अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2-पुलिस अधीक्षक, संतकबीरनगर।

3-अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बन्दी को पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पर रिहा किये जाने तथा बन्दी के जेल में हाजिर होने की तिथि, शासन तथा महानिरीक्षक कारागार, उत्तर प्रदेश को रेडियोग्राम द्वारा उसी दिन अथवा अधिकतम अगले दिन अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनीस अख्तर अंसारी

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।